

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 261]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 जून 2019—आषाढ़ 8, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय; वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 जून 2019

क्र. एफ ए-3-32-2017-1-पांच-(51).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (1), उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5), धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 148 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफरिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-32-2017-1-पांच (72), दिनांक 21 जुलाई, 2017, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में,—

- (i) सारणी में, क्रम संख्या 3 के समक्ष, मद (ie) और (if) में, कॉलम (5) के प्रविष्ट में जहां-जहां भी अंक और अक्षर “10” आए हों, वहां-वहां उनके स्थान पर अंक और अक्षर “20” प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) अनुबंध IV में, अंक और अक्षर “10” के स्थान पर अंक और अक्षर “20” प्रतिस्थापित किया जाएगा;

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2019

क्र. एफ ए-3-32-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-32-2017-1-पांच (51), दिनांक 29 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 29th June 2019

F A-3-32-2017-1-V-(51).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (3) and (4) of Section 9, sub-section (1) of Section 11, sub-section (5), of Section, 15, sub-section (1) of Section 16 and Section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest to do so, hereby makes the following further amendments in this department notification No. F A 3-32-2017-1-V-(41) dated the 29th June, 2017, namely:—

In the said notification,—

- (i) in the Table, against serial number 3, in items (ie) and (if), in the entries in column (5), for the figures and letters “10th”, wherever they occur, the figures and letters “20th,” shall be substituted.
- (ii) in Annexure IV, for the figures and letters “10th”, at both the places where they occur, the figures and letters “20th” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.